THE MSOs REGISTRATION RENEWAL DILEMMA

The first new registrations to MSOs happened during the DAS implementation in June 2012, which became due for renewal/extension in June 2022. The Cable Television Networks Rules, 1994, however, does not mention provision about renewal of MSO registrations. TRAI has sought comments of the stakeholders on the relevant issues pertaining to renewal of MSO registration including the quantum of fee to be paid for such renewal.

POLICY FOR MSO REGISTRATION

In General, Cable TV, along with DTH, is the predominant platform for receiving TV broadcast. In a typical cable television distribution chain, MSO receives programming service from broadcaster and re-transmits the same to the consumer, either directly or through one or more LCOs. Registration of MSOs progressed in consonance with the phase-wise implementation of DAS.

एमएसओ पंजीकरण के नवीकरण पर दुविधा

*एमएसओ के लिए पहला नया पंजीकरण जून **2021** डीएएस कार्यन्वयन के दौरान हुआ, जो जून **2022** में नवीकरण/विस्तार के लिए देय हो गया। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, **1994**, हालांकि, एमएसओ पंजीकरण के नवीकरण के प्रावधान का उल्लेख नहीं करता है। ट्राई ने एमएसओ पंजीकरण के नवीकरण से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर इस तरह के नवीकरण के लिए भुगतान किये जाने वाले शुल्क की मात्रा सहित संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणी मांगी है।*

एमएसओ पंजीकरण के लिए नीति

सामान्य तौर पर केबल टीवी, डीटीएच के साथ, टीवी प्रसारण प्राप्त करने के लिए प्रामुख प्लेटफॉर्म है। एक विशिष्ट केबल टीवी वितरण श्रृंखला में एमएसओ, प्रसारकों से कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है और इसे उपभोक्ताओं को सीधे या एक या अधिक एलसीओ के माध्यम से फिर से प्रसारित करता है। एमएसओ के पंजीकरण की प्रगति डीएएस के चरणबद्ध कार्यान्वयन के अनुरूप हुई है। पंजीकृत एमएसओ की संख्या **2012** में

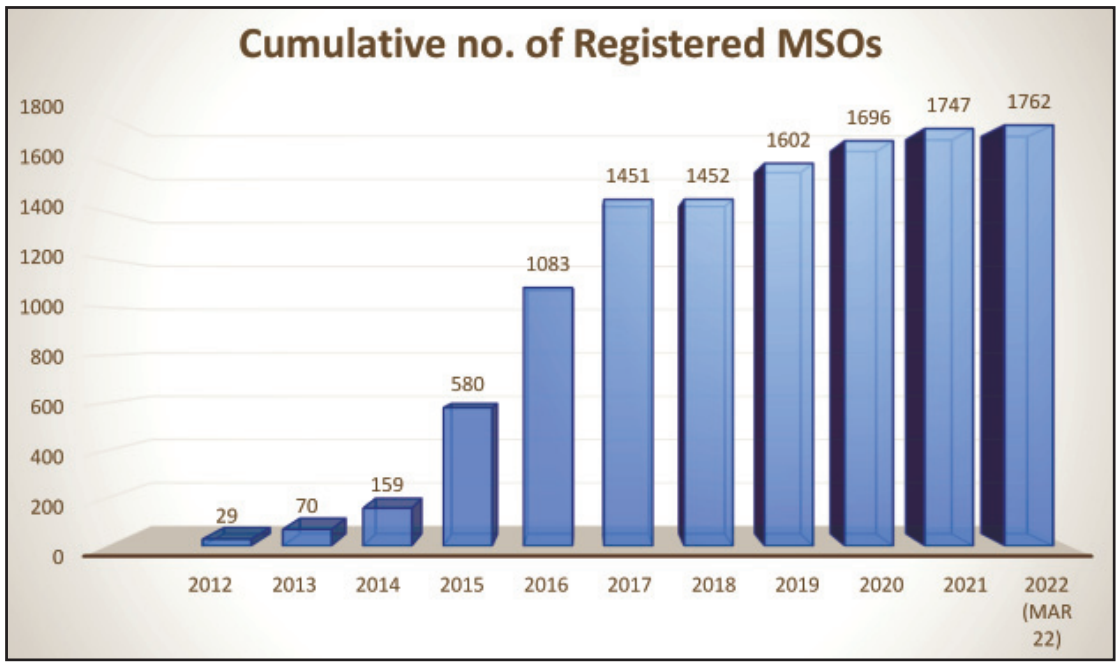

***Figure 1*: Year-wise Cumulative MSOs registered with MIB**

The number of registered MSOs has steadily increased from 29 in 2012 to 1451 by 2017. New Regulatory Framework also provided further growth. The framework provides a mechanism of time bound provisioning of signals for television channels for MSOs. Figure 1 shows year-wise number of registered MSOs as per information on MIB website:

The Government enacted the Cable Television Networks (Regulation) Ordinance, 1994, on 29th September 1994 that set down rules for registration of cable TV operators and introduced the Programme Code and the Advertising Code. In order to replace the said ordinance by an Act, the Cable Television Networks (Regulation) bill was introduced in Parliament. Subsequently this ordinance was converted into the Cable Television Networks (Regulation) Act 1995 on 25th March 1995, to regulate the operation of cable television networks in the country.

With the introduction of digital addressable system (DAS), Government has amended the Cable Television Networks Rules, 1994, by issuing the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2012, on 28th April 2012. For any company or individual intending to provide cable television network services with DAS, it is mandatory to register with MIB and take necessary permissions from MIB.

Provisions under Cable Television Networks Rules, 1994 & Cable Television Networks (Regulation), Act, 1995

Chapter II of the Cable Television Networks (Regulation), Act, 1995 deals with the regulation of Cable Television Network.

a) Section (3) reads as, *"no person shall operate a cable television network unless he is registered as a cable operator under this Act."*

b) Section 4(2) reads as, *"the cable operator shall fulfill such eligibility criteria and conditions as may be prescribed and different eligibility criteria may be prescribed for different categories of cable operators."*

c) Section 4(4) reads as, *"an application under sub-section (1) shall be made in such form and be accompanied by such documents and fees as may be prescribed."*

d) Section 4(5) of the CTN Act, 1995 deals with the renewal of registration of a Cable Operator subject to terms and conditions prescribed under Sections 4(6) of the Act.

e) Section 4(6) reads as, *"Without prejudice to the compliance of eligibility criteria for registration of*

29 से बढ़कर **2017** तक **1451** हो गयी है। नये नियामक ढ़ांचे ने भी और वृद्धि प्रदान की है। यह ढ़ांचा एमएसओ के लिए टेलीविजन चैनलों के लिए सिगनल के समयबद्ध प्रावधान का तंत्र प्रदान करता है। चित्र **1** एमआईबी वेबसाइट पर दी गयी जानकारी के अनुसार पंजीकृत एमएसओ की वर्ष–वार संख्या को दर्शाता है।

सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश **1994** को **29** दिसंबर **1994** को अधिनियमित किया था, जिसने केबल टीवी ऑपरेटरों के पंजीकरण के लिए नियम निर्धारित किये और कार्यक्रम कोड व विज्ञापन कोड पेश किया। उक्त अध्यादेश को एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक को संसद में पेश किया गया था। इसके बाद इस अध्यादेश को देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के संचालन को विनियमित करने के लिए **25** मार्च **1995** को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम **1995** में परिवर्तित कर दिया गया।

डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) की शुरूआत के साथ सरकार ने **28** अप्रैल **2012** को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, **2012** जारी करके केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, **1994** में संशोधन किया है। केबल टेलीविजन प्रदान करने के ईच्छुक किसी भी कंपनी या व्यक्ति के लिए डीएएस के साथ नेटवर्क सेवायें, एमआईबी के साथ पंजीकरण करना और एमआईबी से आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत प्रावधान

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम **1995** का अध्याय **2** केबल टेलीविजन नेटवर्क के विनियमन से संबंधित है।

ए.) धारा (**3**) के अनुसार, *'कोई भी व्यक्ति केबल टेलीविजन नेटवर्क का संचालन तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के तहत केबल ऑपरेटरों के रूप में पंजीकृत न हो।'*

बी.) धारा (**4**) **2** के मुताबिक *'केबल ऑपरेटर ऐसे पात्रता मापदंड और शर्तों को पूरा करेगा, जो कि निर्धारित किया जायेगा, और केबल ऑपरेटरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न पात्रता मानदंड निर्धारित किये जा सकते हैं।'*

सी) धारा (**4**) **4** के मुताबिक *'उप–धारा (1) के तहत एक आवेदन इस तरह के रूप में किया जा सकता है और ऐसे दस्तावेजों व फीस के साथ होगा जैसाकि निर्धारित किया जा सकता है।'*

डी) सीटीएन अधिनियम **1995** की धारा **4** (**5**) अधिनियम की धारा **4** (**6**) के तहत निर्धारित नियमों व शर्तों के अधीन केबल ऑपरेटरों के पंजीकरण के नवीनीकरण से संबंधित है।

ई) धारा **4**(**6**) के मुताबिक *'केबल ऑपरेटरों के पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड के अनुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र*

cable operators, the Central Government may prescribe, having regard to the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, foreign relation or contempt of court, defamation or incitement to an offence, such terms and conditions of registration including additional criteria or conditions to be fulfilled by the cable operator."

Further, Section 22 of the Act gives power to the Central Government to frame Rules, by notification in the official Gazette, with regard to inter alia the eligibility criteria for "different categories of cable operators" (thereby implicitly including MSOs) under Section 4(2) of the CTN Act and the terms and conditions of registration under Section 4(6) of the Act.

The Central government had made the Cable Television Networks Rules, 1994 (CTN Rules) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Ordinance, 1994 (Ordinance No.9 of 1994). The CTN Rules, 1994 define 'Multi-System Operator (MSO)' under Rule 2 (ee) as "*a cable operator who receives a programming service from a broadcaster and/ or his authorized agencies and re-transmits the same or transmits his own programming service for simultaneous reception either by multiple subscribers directly or through one or more local cable operators (LCOs) and includes his authorized distribution agencies by whatever name called.*" Rule 11A of the CTN Rules deals with the application for registration as a multi-system operator and states-

"*(1) For the purpose of operation of cable television network services with digital addressable system in a notified area, a person who desires to provide such service shall make an application for registration as Multi-System Operator to the registering authority in Form 6.*

(2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by –

- *a processing fee of rupees one lakh;*
- *declaration in Form 2.*

The rules do not prescribe any other fee or charges except the processing fee for the MSO. MIB Reference (Annexure-II) reiterates that Rule 11A of CTN Rules, 1994 prescribe processing fee of Rs. One Lakh to be submitted with the application for MSO registration. The CTN Rules

सरकार भारत की संप्रभुत्ता और अखंडता के हितों को ध्यान में रखते हुए, राज्य की सुरक्षा को निर्धारित कर सकती है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, विदेशी संबंध या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाना, पंजीकरण के ऐसे नियम और शर्तें जिनमें अतिरिक्त मानदंड या शर्तें शामिल हैं, जिन्हें केबल ऑपरेटरों द्वारा पूरा किया जाना है।

इसके अलावा अधिनियम की धारा **22** केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने की शक्ति देती है, अन्य बातों के साथ–साथ धारा **4** (**2**) सीटीएन अधिनियम और अधिनियम की धारा **4**(**6**) के तहत पंजीकरण के नियम और शर्तें।

केंद्र सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, **1994** (**1994** का अध्यादेश संख्या **9**) की धारा **22** की उप–धारा (**1**) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम **1994** (सीटीएन नियम) बनाया था। सीटीएन नियम **1994** नियम **2** (ईई) के तहत *'मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) को 'एक केबल ऑपरेटर के रूप में परिभाषित करता है जो एक प्रसारक और/या उसकी अधिकृत एजेंसियों से कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है और इसे फिर से प्रसारित करता है या अपने स्वयं के एक साथ कई ग्राहकों द्वारा सीधे या एक या अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के माध्यम से एक साथ स्वागत के लिए कार्यक्रम सेवा और उनकी अधिकृत वितरण एजेंसियों को किसी भी नाम से जाना जाता है।* सीटीएन नियमों का नियम **11**ए एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन से संबंधित है और यह बताता है कि –'

*(**1**) अधिसूचित क्षेत्र में डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के साथ केबल टेलीविजन नेटवर्क सेवाओं के संचालन के उद्देश्य से, एक व्यक्ति जो ऐसी सेवा प्रदान करना चाहता है, वह पंजीकरण प्राधिकरण को फॉर्म **6** में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।'*

*(**2**) उप–नियम (**1**) के तहत प्रत्येक आवेदन के साथ होगा,*

- *एक लाख रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क*
- *प्रपत्र **2** में घोषणा*

नियम, एमएसओ के लिए प्रसंस्करण शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क या शुल्क निर्धारित नहीं करते हैं। एमआईबी संदर्भ (अनुलग्नक द्वितीय) दोहराता है कि सीटीएन नियम, **1994** के नियम **11** ए एमएसओ पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ एक लाख रुपये की प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने का प्रावधान है। सीटीएन नियम एमएसओ पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए कोई प्रक्रिया या प्रोसेसिंग शुल्क निर्धारित नहीं करते हैं।

do not prescribe any procedure or processing fee for renewal of MSO registration.

The CTN Rules, 1994, do not have an express provision about renewal of MSO registrations. However, Rule 3 of the said Rules, 1994 deals with the application for registration as a cable television network in India. Rule 3(1) states that, "*every application for registration as a cable television network in India shall be made in writing in Form 1 and shall be renewable after every twelve months*". Rule 3(3)(a) states that, "*every application for registration or renewal of registration shall be accompanied by – (i) a fee of rupees five hundred only; and (ii) the requisite documents mentioned in Form 1 and Form 2 (attached in the said Rules, 1994)*". Read with other relevant provisions of the CTN Rules and the CTN Act, these provisions pertain to the renewal of Local Cable Operator (LCO).

Rule 11 of the Cable Television Networks Rules 1994 (as amended) prescribes that an applicant seeking registration for operating as an MSO can be an individual, an association of individuals or body of individuals, whether incorporated or not, or a company. The eligibility criteria for an applicant multi-system operator as per Rule 11(B), CTN Rules 1994 are as follows: —

"a) where the applicant is a person, he shall be a citizen of India and not less than eighteen years of age;

b) where the applicant is an association of Individuals or body of individuals, whether incorporated or not, the members of such an association or body shall be citizens of India and not less than eighteen years of age;

c) where the applicant is a company, such company shall be a company registered under the Companies Act, 1956 and shall be subject to such conditions relating to foreign direct investment as may be decided by the Central Government;

d) the applicant shall not be an undischarged insolvent;

e) the applicant shall not be a person of unsound mind as declared by a-competent court;

f) the applicant shall not be convicted of any criminal offence".

Rule 11(3) of CTN Rules, 1994 prescribes, inter alia, the financial strength of the applicant for grant of MSO registration, without explicitly defining or quantifying it. Further, Ministry has been granting MSO registration to those applicants who have positive net-worth. Previously,

सीटीएन नियम, **1994** में एमएसओ पंजीकरण के नवीनीकरण के बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हालांकि उक्त नियम **1994** का नियम **3** भारत में केबल टेलीविजन नेटवर्क के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन से संबंधित है। नियम **3 (1)** में कहा गया है कि *'भारत में केबल टेलीविजन नेटवर्क के रूप में पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन फॉर्म **1** में लिखित रूप में किया जायेगा और हर **12** महीने के बाद नवीनीकरण होगा। नियम **3 (3)** (ए) में कहा गया है कि 'पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ होगा– **(1)** केवल **500** रुपये का शुल्क और **(2)** फॉर्म **1** और फॉर्म **2** में उल्लेखित अपेक्षित दस्तावेज (उक्त नियम **1994** में संलग्न)।* सीटीएन नियमों व सीटीएन अधिनियमों के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ें, ये प्रावधान स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के नवीनीकरण से संबंधित है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, **1994** (संशोधित) के नियम **11** में प्रावधान है कि एक एमएसओ के रूप में संचालन के लिए पंजीकरण की मांग करने वाला आवेदक एक व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे नियमित हो या नहीं, या एक कंपनी हो सकता है। नियम **11** (बी) सीटीएन नियम **1994** के अनुरूप एक आवेदक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैः

*ए) जहां आवेदक एक व्यक्ति है, वह भारत का नागरिक होगा और **18** वर्ष से कम उम्र का नहीं होगा।*

*बी) जहां आवेदक व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय है, चाहे नियमित हो या नहीं, ऐसे संघ या निकाय के सदस्य भारत के नागरिक होंगे और **18** वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे।*

*सी) जहां आवेदक एक कंपनी है, ऐसी कंपनी, कंपनी अधिनियम **1956** के तहत पंजीकृत कंपनी होगी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जैसाकि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।*

डी) आवेदक अनुन्मोचित दिवालिया नहीं होगा,

ई) आवेदक एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित के रूप में विकृत दिमाग का व्यक्ति नहीं होगा।

एफ) आवेदक को किसी भी आपराधिक आपराध का दोषी नहीं ठहराया जायेगा।

सीटीएन नियम, **1994** का नियम **11 (3)**, अन्य बातों के साथ-साथ एमएसओ पंजीकरण के अनुदान के लिए आवेदक के वित्तीय ताकत को स्पष्ट रूप से परिभाषित या परिमाणित किये बिना निर्धारित करता है। इसके अलावा, मंत्रालय उन आवेदकों को एमएसओ पंजीकरण प्रदान कर रहा है जिनके पास सकारात्मक निवल मूल्य है। पूर्व में पत्र सं.**2/31/2016**-डीएएस दिनांक **16** मई **2018**, एमआईबी ने ट्राई से एमएसओ के लिए उपयुक्त प्रवेश स्तर के निवल मूल्य पर अपनी सिफारिशें

vide letter no. 2/31/2016- DAS Dated 16th May 2018, MIB requested TRAI to give its recommendations on the appropriate entry level net worth for the MSOs. In response, the Authority in its Recommendations on Entry Level Net worth requirement of Multi-system Operators in Cable TV services dated 22nd July 2019 had recommended that there is no necessity for fixation of a minimum entry level net worth for MSO registration. As prevalent, any individual, company, corporate firm, or LLP that fulfils provisions of the CTN Rules, may be granted MSO registration. These recommendations have been accepted by the government.

Initially, the MSO registration was issued for a specific city or Town or a State or on a pan-India basis as per the request of the applicant. However, vide circular dated 27th Jan 2017 (**Annexure-I**), the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) conveyed that all the MSOs with a valid registration are free to operate in any part of the country.

देने का अनुरोध किया था। प्रत्युत्तर में, प्राधिकरण ने **22** जुलाई **2019** को केबल टीवी सेवाओं में मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों की एंट्री लेवल नेटवर्थ आवश्यकता पर अपनी अनुशंसाओं में सिफारिश की थी कि एमएसओ पंजीकरण के लिए न्यूनतम प्रवेश स्तर के निवल मूल्य के निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसाकि प्रचलित है, सीटीएन नियमों के प्रावधानों को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति, कंपनी, कॉर्पोरेट फर्म या एलएलपी को एमएसओ पंजीकरण दिया जा सकता है। इन सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है।

प्रारंभ में एमएसओ पंजीकरण एक विशिष्ट शहर या कस्बे या राज्य के लिए या एक अखिल भारतीय आधार पर आवेदक के अनुरोध के आधार पर जारी किया गया था। हालांकि परिपत्र दिनांक **27** जनवरी **2017** (अनुलग्नक–**1**) के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआई बी) ने बताया कि वैध पंजीकरण वाले सभी एमएसओ देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं।

Figure 2: **Broadcast Seva Portal for submitting applications**

As per extant provisions, any individual, company, corporate firm, or LLP that fulfils provisions of the CTN Rules, may be granted MSO registration. MIB has developed a new Broadcast Seva portal (Figure 2) for submitting the applications online for MSO registration. The portal provides a single point facility to the stakeholders to request for required permission, registrations, licenses, etc. issued by the Ministry of Information and Broadcasting for broadcast related activities.

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सीटीएन नियमों के प्रावधानों को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति, कंपनी, कॉर्पोरेट फर्म या एलएलपी को एमएसओ पंजीकरण दिया जा सकता है। एमआईबी ने एमएसओ पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एक नया प्रसारण सेवा पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल प्रसारण संबंधी गतिविधियों के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक अनुमति पंजीकरण, लाइसेंस आदि के लिए अनुरोध करने के लिए हितधारकों को एकल विंदु सुविधा प्रदान करता है।

For registration of MSO, the applicant is required to make an application to MIB by logging on to the Broadcast Seva portal. The eligibility criteria, entry requirements, and list of documents are prescribed on the portal. Post scrutiny of eligibility and documents, security clearance from MHA is obtained before grant of the registration. The security clearance provided by MHA to an entity, or its director(s) has a limited validity of ten years from the date of initial grant of security clearance or period of license permission, whichever is earlier, as per MHA O.M. dated 25.06.2018.

As per the extant provision under the CTN Rules, an MSO registration has a validity period of 10 years. There is no provision for an extension or a renewal, implying that at the end of the 10-year period of validity, the registration expires. While the Guidelines may be silent on the provision of an extension or a renewal, it could not possibly be the intent of policy to effectively disallow existing service providers from continuing business beyond the initial registration period of 10 years. Starting a cable television distribution business entails considerable investment of resources. It would, therefore, be a reasonable expectation on the part of MSO licensees that, before the expiry of the initial 10-year registration, they would apply for renewal/ extension of the existing registration so that they could continue their business.

Further, it is important to note that such renewal/ re-registration process has to be a time-bound activity as it needs to be completed before the expiry of existing registration. This is necessary as the existing service providers have large number of consumers. Therefore, any registered MSO should strive to apply for renewal at least few months before the expiry of registration. Furthermore, in case an existing service provider has applied for renewal and the decision of renewal is pending, then in the interest of consumers, the service provisioning may be allowed to continue on provisional basis.

GUIDELINES FOR RENEWAL OF REGISTRATION FOR TELEVISION SERVICE PROVIDERS OTHER THAN MSO

For deliberating on the issue of the period of existing MSO registration and its renewal, it would be prudent to review the relevant provisions, on the subject, that have been made in other distribution platforms of the broadcasting sector. It may be appropriate to mention here that as per the guidelines for Provisioning of Internet Protocol Television (IPTV) Services issued by Ministry of Information & Broadcasting vide its letter No. 16/03/2006-BP&L. Vol. III dated 08.09.2008, all telecom licensees/Cable

एमएसओ के पंजीकरण के लिए आवेदक को प्रसारक सेवा पोर्टल पर लॉग इन करके एमआईबी को एक आवेदन करना होगा। पोर्टल पर पात्रता मानदंड, प्रवेश आवश्यकताओं और दस्तावेजों की सूची निर्धारित की गयी है। पात्रता और दस्तावेजों की जांच के बाद पंजीकरण की अनुमति देने से पहले एमएचए से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त की जाती है। **25.06.2018** को एमएचए के ओ.एम. के अनुसार 'एमएचए द्वारा किसी इकाई या उसके निदेशक (निदेशकों) को प्रदान की गयी सुरक्षा मंजूरी की प्रारंभि सुरक्षा मंजूरी या लाइसेंस अनुमति की अवधि, जो भी पहले हो, की तारीख से दस साल की सीमित वैधता है।

सीटीएन नियमों के मौजूदा प्रावधान के अनुसार, एक एमएसओ पंजीकरण की वैधता अवधि **10** वर्ष है। विस्तार या नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं है, जिसका मतलब है कि वैधता की **10** साल की अवधि के अंत में पंजीकरण समाप्त हो जायेगा। हालांकि दिशानिर्देश विस्तार या नवीनीकरण के प्रावधान पर मौन हो सकते हैं, यह संभवतः मौजूदा सेवा प्रदाताओं को **10** वर्षों की प्रारंभिक पंजीकरण की अवधि के बाद व्यापार जारी रखने से प्रभावी रूप से अस्वीकृत करने की नीति का इरादा नहीं हो सकता है। केवल टेलीविजन वितरण व्यवसाय शुरू करने के लिए संसाधनों का काफी निवेश करना पड़ता है। इसलिए, एमएसओ लाइसेंसधारियों की ओर से यह एक उचित अपेक्षा होगी कि प्रारंभिक **10** वर्ष के पंजीकरण की समाप्ति से पहले, वे मौजूदा पंजीकरण के नवीनीकरण/विस्तार के लिए आवेदन करेंगे ताकि वे अपना व्यवसाय जारी रख सकें।

इसके अलावा यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि ऐसी नवीनीकरण/पुनःपंजीकरण प्रक्रिया एक समयबद्ध गतिविधि होनी चाहिए क्योंकि इसे मौजूदा पंजीकरण की समाप्ति से पहले पूरा करने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है क्योंकि मौजूदा सेवा प्रदाताओं के पास बड़ी संख्या में उपभोक्ता हैं। इसलिए किसी भी पंजीकृत एमएसओ को पंजीकरण की समाप्ति से कम से कम कुछ महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा, किसी मौजूदा सेवा प्रदाता ने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है और नवीनीकरण का निर्णय लंबित है तो उपभोक्ताओं के हित में सेवा प्रावधान को अनंतिम आधार पर जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

एमएसओ के अलावा अन्य टेलीविजन सेवा प्रदाताओं के लिए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए दिशा-निर्देश

मौजूदा एमएसओ पंजीकरण की अवधि और इसके नवीनीकरण के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए इस विषय पर प्रासंगिक प्रावधानों की समीक्षा करना समझदारी होगी, जो कि प्रसारण क्षेत्र के अन्य वितरण प्लेटफॉर्मों में किये गये हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अपने पत्र संख्या **16/03/2006** बीपी एंड एल वॉल्यूम **3** दिनांक **08.09.2008** द्वारा जारी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाओं के प्रावधान के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी दूरसंचार लाइसेंसधारियों/आईपीटीवी प्रदान करने से पहले

Operators before providing IPTV will give a self-certified declaration to I&B, DoT and TRAI giving details such as license/registration under which IPTV service is proposed. No separate registration is required for provisioning of IPTV services as per extant guidelines. However, the relevant provision in vogue for renewal of the registration for other distribution platform operators, along with the renewal policy for the LCOs is discussed below:

(A) GUIDELINES FOR LCO REGISTRATION

Any applicant who is desirous of providing cable television network services as a local cable operator with digital addressable system needs to apply for registration from the registering authority as per the procedure detailed below:

a. *Application for registration as local cable operator shall be made in writing in Form 1 as prescribed in the Cable Television Networks Rules 1994.*

b. *The application shall be addressed to the registering authority i.e., the Head Post Master of a Head Post Office of the area within whose territorial jurisdiction the office of the cable operator is situated, and delivered in his office in Form 1.*

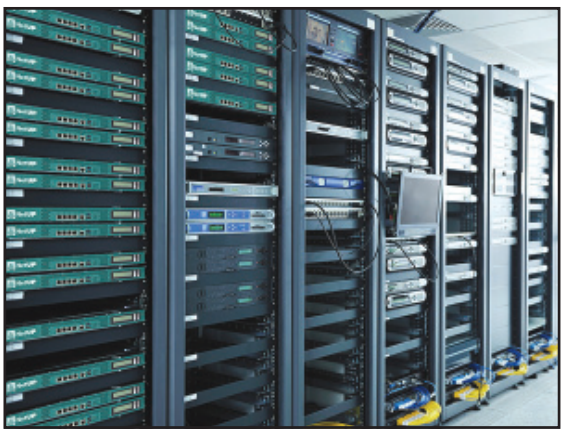

c. *The application for registration or renewal of registration shall be accompanied by*
   - ❖ *a fee of Rs. five hundred only; and*
   - ❖ *the requisite documents mentioned in Form 1 and an undertaking as in Form 2 prescribed in the Cable Television Networks Rules 1994.*

d. *The application for issue of duplicate certificate of registration shall be accompanied by*
   - ❖ *a fee of Rs. two hundred and fifty only; and*
   - ❖ *the requisite documents mentioned in Form 1 prescribed in the Cable Television Networks Rules 1994.*

e. *The amount of fee shall be deposited in the Head Post Office where the application for registration or renewal of registration or issue of duplicate certificate of registration is being made.*

केबल ऑपरेटर, आईएंडबी, डॉट और ट्राई को लाइसेंस/पंजीकरण जैसे विवरण देते हुए एक स्व-प्रमाणित घोषणा देंगे, जिसके तहत आईपीटीवी सेवा प्रस्तावित है। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार आईपीटीवी सेवा प्रावधानों के लिए अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अन्य वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों के लिए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए प्रचलित प्रासंगिक प्रावधान, एलसीओ के लिए नवीनीकरण नीति के साथ नीचे चर्चा की गयी हैः

(ए) एलसीओ पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देश

कोई भी आवेदक जो डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के साथ स्थानीय केबल ऑपरेटर के रूप में केबल टेलीविजन नेटवर्क सेवायें प्रदान करने का ईच्छुक है, उसे नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण प्राधिकारी से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

ए. *स्थानीय केबल ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन, फॉर्म **1** में लिखित रूप से किया जायेगा, जैसाकि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम **1994** में निर्धारित किया गया है।*

बी. *आवेदन पंजीकरण प्राधिकारी को संबोधित किया जायेगा, अर्थात, उस क्षेत्र के प्रधान डाकघर के हेड पोस्ट मास्टर, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में केबल ऑपरेटर का कार्यालय स्थित है और फॉर्म **1** उसके यहां भेजा जायेगा।*

सी. *पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ होना चाहिएः*
- ❖ *केवल **500** रुपये का शुल्क, और*
- ❖ *फॉर्म **1** में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेज और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम **1994** में निर्धारित फॉर्म **2** के अनुसार एक अंडरटेकिंग।*

डी. *पंजीकरण के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र के साथ होना चाहिएः*
- ❖ *केवल **250** रुपये का शुल्क, और*
- ❖ *केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम **1994** में निर्धारित फॉर्म **1** में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेज।*

ई. *शुल्क की राशि प्रधान डाकघर में जमा की जायेगी जहां पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण या पंजीकरण के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया जा रहा है।*

f. LCO registration may be renewed after every twelve months

g. The applicant could be individual, association or body of individuals, or a company registered under the Companies Act.

Renewal terms and process for the LCOs have been kept identical to the initial registration, in terms of eligibility, validity period and fee.

(B) DIRECT-TO-HOME (DTH) REGISTRATION

The Government had issued "Guidelines for Obtaining License for Providing Direct-to-Home (DTH) Broadcasting Services in India" on 15th March 2001 which marked the beginning of DTH services in India.

Period of license for DTH services:

The period of license for DTH services previously was 10 years from the date of issue of wireless operational license by Wireless planning and Coordination Wing of Ministry of Communications. MIB has subsequently issued amendments to the guidelines for obtaining licenses for providing DTH services in India on 30th December 2020. The license period for DTH operations has been increased from the existing period of 10 years to 20 years from the date of issue of wireless operational license (WOL) by WPC and renewal by 10 years at a time. While the amendments specify the annual license fee along with other applicable fee payable by the DTH operators, no separate fee for renewal of DTH license has been prescribed in the said amendments to the policy guidelines for DTH broadcasting services.

(C) HEADEND-IN-THE SKY (HITS) REGISTRATION

"Guidelines for Providing Headend-in-the-Sky (HITS) Broadcasting Service in India" were issued by MIB on 26th November 2009. The amendment to the guidelines were later issued by MIB on 6th November 2020 through which MIB has also permitted sharing of infrastructure by HITS operators. The process for obtaining permission is similar to that of DTH services.

Period of Permission for HITS services:

Permission for providing HITS service will be valid

एफ. एलसीओ पंजीकरण हर बारह महीने के बाद नवीनीकृत किया जा सकता है।

जी. आवेदक व्यक्ति, संघ या व्यक्तियों का निकाय या कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी हो सकता है।

पात्रता, वैधता अवधि और शुल्क के संदर्भ में एलसीओ के लिए नवीनीकरण की शर्तें और प्रक्रिया प्रारंभिक पंजीकरण के समान रखी गयी है।

बी. डॉयरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) पंजीकरण

सरकार ने 15 मार्च 2001 को 'भारत में डॉयरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण सेवायें प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश' जारी किये थे, जिसने भारत में डीटीएच सेवाओं की शुरूआत को चिन्हित किया था।

डीटीएच सेवाओं के लिए लाइसेंस की अवधि

पहले डीटीएच सेवाओं के लिए लाइसेंस की अवधि संचार मंत्रालय के वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग द्वारा वायरलेस ऑपरेशनल लाइसेंस जारी करने की तारीख से 10 साल थी। एमआईवी ने बाद में 30 दिसंबर 2002 को भारत में डीटीएच सेवायें प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन जारी किये। डीटीएच संचालन के लिए लाइसेंस अवधि वायरलेस परिचालन लाइसेंस (डब्लूओएल) जारी करने और एक बार में 10 वर्ष के नवीनीकरण की तारीख से मौजूदा 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गयी है। जबकि संशोधन डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा देय अन्य लागू शुल्क के साथ वार्षिक लाइसेंस शुल्क निर्दिष्ट करते हैं, डीटीएच प्रसारण सेवाओं के लिए नीति दिशानिर्देशों में उक्त संशोधनों में डीटीएच लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कोई अलग शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है।

सी. हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स) पंजीकरण

'भारत में हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स) प्रसारण सेवा प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश 26 नवंबर 2009 को एमआईवी द्वारा जारी किये गये थे। दिशानिर्देशों में संशोधन बाद में एमआईवी द्वारा 6 नवंबर 2020 को जारी किया गया था जिसके माध्यम से एमआईवी ने हिट्स ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढ़ांचे को साझा करने की भी अनुमति दी थी। अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया डीटीएच सेवाओं के समान है।

हिट्स सेवाओं के लिए अनुमति की अवधिः

हिट्स सेवा प्रदान करने की अनुमति संचार और सूचना प्रौद्योगिकी

for a period of 10 years from the date of issue of wireless operational license (WOL) by Wireless planning and Coordination Wing of Ministry of Communications and Information Technology.

While the mechanism for obtaining permission as prescribed in the Guidelines for Providing HITS Broadcasting Service in India is similar to that of DTH services, these guidelines do not include an express provision for extension/ renewal of permission period for HITS services unlike the case of DTH services (which is renewable by 10 years at a time).

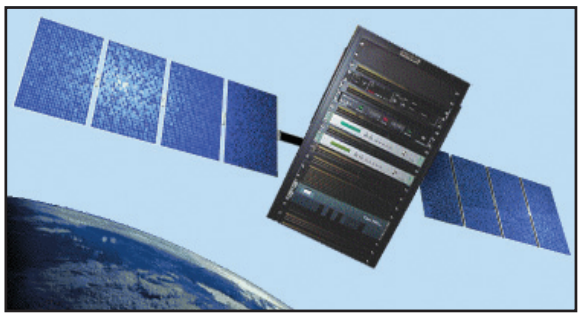

As stated earlier, TRAI has taken note of the fact that at present there is no provision for renewal in the existing Guidelines for Registration for HITS services. Therefore, there is a need to make appropriate provisions for extension of license/permission period for HITS platform as well, for the sake of uniformity across all distribution platforms as far as provision for renewal of registration/ permission/ license is concerned. The MIB Reference has sought the recommendations of TRAI on specific aspects, as outlined under para 1.8 (i) & (ii) in the previous chapter, for extension of the validity period of MSO registration including the amount of processing fee. Hence, TRAI is of the view that the issue of renewal provisions for HITS services need to be taken up in a separate consultation paper, either on a reference from MIB regarding this or on suo motu basis, as expedient in the matter.

REGULATORY PROVISIONS

To enable the Indian broadcasting sector to realize the gains of digitization, TRAI, after due consultation process, published a comprehensive regulatory framework for DAS on 03.03.2017. This framework comprised of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017, the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017 and the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2017 for providing broadcasting services. This framework was notified in March 2017. However, it came into effect from 29.12.2018 after satisfying legal pronouncements. The regulatory framework, by its design, has brought

मंत्रालय के वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग द्वारा वायरलेस ऑपरेशनल लाइसेंस (डब्लूओएल) जारी करने की तारीख से **10** साल की अवधि के लिए वैध होगी।

जबकि भारत में हिट्स प्रसारण सेवा प्रदान करने के लिए दिशा–निर्देशों में निर्धारित अनुमति प्राप्त करने के लिए तंत्र डीटीएच सेवाओं के समान है, इन दिशानिर्देशों में डीटीएच सेवाओं के मामले के विपरीत हिट्स सेवाओं के लिए अनुमति अवधि के विस्तार/नवीकरण के लिए एक स्पष्ट प्रावधान शामिल नहीं है। (जो एकबार में **10** साल के लिए नवीकरणीय है)।

जैसाकि पहले कहा गया है कि ट्राई ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि वर्तमान में हिट्स सेवाओं के पंजीकरण के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में नवीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, जहां तक पंजीकरण/अनुमति/लाइसेंस के नवीकरण के प्रावधान का संबंध है, सभी वितरण प्लेटफॉर्मों में एकरूपता के लिए हिट्स प्लेटफॉर्म के लिए भी लाइसेंस/अनुमति अवधि के विस्तार के लिए उपयुक्त प्रावधान करने की आवश्यकता है। एमआईबी रेफ्रेंस शुल्क की राशि सहित एमएसओ पंजीकरण की वैधता अवधि के विस्तार के लिए पिछले अध्याय में पैरा **1.8** (**1**) और (**2**) के तहत उल्लिखित विशिष्ट पहलुओं पर ट्राई की सिफारिशों की मांग की है। इसलिए ट्राई का विचार है कि हिट्स सेवाओं के नवीकरण प्रावधानों के मुद्दे को एल अलग परामर्श पत्र में लाने की जरूरत है या तो इस संबंध में एमआईबी के संदर्भ में या मामले में उपाय के रूप में स्वतः प्रेरणा के आधार पर।

नियामक प्रावधान

भारतीय प्रसारण क्षेत्र को डिजिटलीकरण के लाभों का एहसास करने में सक्षम बनाने के लिए ट्राई ने उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद **03.03.2017** को डीएएस के लिए एक व्यापक नियामक ढ़ांचा प्रकाशित किया। इस ढ़ांचे में दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवायें इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, **2017**, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, **2017** और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवायें (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) प्रसारण सेवायें प्रदान के लिए टैरिफ आदेश **2017**। इस ढ़ांचे को **2017** में अधिसूचित किया गया था। हालांकि यह कानूनी घोषणों को पूरा करने के बाद **29.12.2018** से लागू हुआ। नियामक ढ़ांचे ने अपने डिजाइन से मूल्य श्रृंखला में विभिन्न हितधारकों के बीच पारदर्शिता, गैर–भेदभाव और समान अवसर प्रदान किया है। सभी वितरण प्लेटफॉर्म

transparency, non-discrimination and level playing field among various players across the value chain. All Distribution platform Operators (DTH/MSO/HITS/IPTV) are required to ensure the compliance to these regulations and extant regulatory framework in general.

The New Regulatory framework, together with the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995/ Cable Television Networks Rules, 1994 paved the way for evolution of the cable television services from an unregulated, unstructured sector to a structured, technology driven, vibrant sector. The regulatory framework has nudged the sector towards a new structure, wherein all the stakeholders, from content provider to distributor to end consumer, operate in a transparent, trust-based ecosystem. On the other hand, the CTN Act/ CTN Rules have been continuously evolving to provide a simple registration process for the MSOs and LCOs and to enable a business opportunity for the entrepreneurs without any deterrent entry barriers to speak of.

As mentioned earlier, there are 1762 MSOs who have been provided MSO registration by MIB up to March 2022. Further, as per inputs from leading broadcasters, nearly 900 MSOs have active agreements with pay TV broadcasters. However, there is a significant gap in reporting of compliance by these MSOs despite continuous monitoring efforts by TRAI. For instance, only 363 MSOs had undergone the mandatory audit in 2021, citing miscellaneous reasons including Covid situation. It is understood that similar shortfalls are also being observed by the ministry regarding compliance of the terms and conditions of the MSO registration granted by MIB. Few smaller & medium MSOs have either merged their operation or formed joint venture (JV) with bigger MSOs having subscriber base more than one lakh. However, the acquired MSOs have not reported

ऑपरेटरों (डीटीएच/एमएसओ/हिट्स/आईपीटीवी) को इन विनियमों और सामान्य रूप से मौजूदा नियामक ढ़ांचे का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, **1995**/केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, **1994** के साथ नये नियामक ढ़ांचे ने केबल टेलीविजन सेवाओं के एक अनियंत्रित, असंरक्षित क्षेत्र से एक संरक्षित, तकनीकी संचालित, जीवंत क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त किया। नियामक ढ़ांचे ने इस क्षेत्र को एक नयी संरचना की ओर अग्रसर किया है जिसमें सभी हितधारक, सामग्री प्रदाता से लेकर वितरक से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक, एक पारदर्शी, विश्वास आधारित पारस्थितिकी तंत्र में काम करते हैं। दूसरी ओर, एमएसओ और एलसीओ के लिए एक सरल पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करने के लिए सीटीएन अधिनियम/सीटीएन नियम लगातार विकसित हो रहे हैं और बिना किसी बाधा प्रवेश बाधाओं के उद्यमियों के लिए एक व्यवसायिक अवसर प्रदान करने में सक्षम है।

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, **1762** एमएसओ है, जिन्हें मार्च **2022** तक एमआईबी द्वारा एमएसओ पंजीकरण प्रदान किया गया है। इसके अलावा प्रमुख प्रसारकों के इनपुट के अनुसार लगभग **900** एमएसओ ने पे टीवी प्रसारकों के साथ सक्रिय समझौते किये हैं। तथापि, ट्राई द्वारा निरंतर निगरानी प्रयासों के बावजूद इन एमएसओ द्वारा अनुपालन की रिर्पोटिंग में एक महत्वपूर्ण अंतर है। उदाहरण के लिए, केवल **363** एमएसओ ने **2021** में कोविड स्थिति सहित विविध कारणों का हवाला देते हुए अनिवार्य ऑडिट किया था। यह समझा जाता है कि मंत्रालय द्वारा एमआईबी द्वारा प्रदान किये गये एमएसओ पंजीकरण के नियमों व शर्तों के अनुपालन के संबंध में भी इसी तरह की कमी देखी जा रही है। कुछ छोटे और मध्यम एमएसओ ने या तो अपने परिचालन का विलय कर दिया है या एक लाख से अधिक ग्राहक आधार वाले बड़े एमएसओ के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) का गठन किया है। हालांकि अधिग्रहित एमएसओ ने ट्राई या एमआईबी को नयी स्थिति की सूचना नहीं दी है। इसके अलावा कई एमएसओ जिन्हें **2017** के बाद एमआईबी द्वारा एमएसओ पंजीकरण जारी किया गया है, उन्हें अभी भी

the new status to TRAI or MIB. Apart from this, many of MSOs who have been issued MSO registration by MIB after 2017, are yet to comply with the provisions of the CTN Act/Rules including the extant regulatory framework. MIB has also issued an advisory dated 21.02.2022 for regular updating of the subscriber base data on the Management Information System (MIS) of the Ministry.

Pursuant to the said situation, it may be prudent for the licensing authority to be satisfied with the compliance of the MSOs with the terms and conditions of their registration and the extant regulatory framework, prior to permitting the extension of their services. In the interest of promoting ease of doing business, a hassle-free approach may be adopted for such verification of compliances of MSOs at the time of application for renewal of MSO registration. It may be reasonable to include a provision in the CTN Act/Rules for the MSOs to report their status of compliance with the extant regulatory framework to TRAI or MIB, before they may be granted renewal of registration. For the compliance monitoring purpose, TRAI has identified key regulatory provisions, the list of which is enclosed as Annexure III. The stakeholders may examine the list and provide their suggestions along with any modifications proposed in the list of compliances to be considered mandatory, prior to the grant of renewal of MSO registration. Further, it may be appropriate to highlight the list of documents that may be necessary to be submitted at the time of application for renewal of MSO registration to the licensing authority for such verification of compliances. TRAI welcomes suggestions for such list of documents which may include, but may not be limited to, self-certification by the MSOs regarding their status of compliance, any NOC provided by TRAI/MIB/licensing authority, audit reports etc. as the case may be, as long as it is in tandem with ease of doing business in the television distribution network.

For continuity and long-term planning of the business, renewal of license/registration would be a basic requirement/expectation of the licensee. Further, the period of renewal should neither be too long nor too short. In view of this, it may be appropriate to incorporate, in the CTN Act/ CTN Rules, a provision that indicates the period of extension/renewal, relevant processing fee, as may be applicable, and the procedure to be followed in future for the extension/renewal of the MSO registration on their expiry. The licensor should have the flexibility to modify the terms and conditions for extension/renewal of the registration. ■

मौजूदा नियामक ढ़ांचे सहित सीटीएन अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन करना है। मंत्रालय के प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर ग्राहक आधार डेटा को नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए एमआईवी ने दिनांक **21.02.2022** को एक परामर्श पत्र भी जारी किया है।

उक्त स्थिति के अनुसरण में, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के लिए यह विवेकपूर्ण हो सकता है कि वह अपनी सेवाओं के विस्तार की अनुमति देने से पहले एमएसओ के पंजीकरण के नियम और शर्तों और मौजूदा नियामक ढ़ांचे के अनुपालन से संतुष्ट हो। व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के हित में, एमएसओ पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन के समय एमएसओ के अनुपालन के ऐसे सत्यापन के लिए एक परेशानी मुक्त दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। एमएसओ को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन के समय एमएसओ के अनुपालन के ऐसे सत्यापन के लिए एक परेशानी मुक्त दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। एमएसओ को पंजीकरण के नवीकरण की अनुमति दिये जाने से पहले मौजूदा नियामक ढ़ांचे के अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट ट्राई या एमआईवी को करने के लिए एमएसओ के लिए सीटीएन अधिनियम/नियमों में एक प्रावधान शामिल करना उचित हो सकता है। अनुपालन निगरानी के उद्देश्य से, ट्राई ने प्रमुख नियामक प्रावधानों की पहचान की है, जिनकी सूची अनुबंध **3** में संलग्न है। हितधारक सूची की जांच कर सकते हैं और एमएसओ पंजीकरण के नवीकरण के अनुदान से पहले अनिवार्य मानी जाने वाली अनुपालन सूची में प्रस्तावित किसी भी संशोधन के साथ अपने सुझाव प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा अनुपालन के ऐसे सत्यापन के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी को एमएसओ पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को उजागर करना उचित हो सकता है। ट्राई दस्तावेजों की ऐसी सूची के लिए सुझावों का स्वागत करता है जिसमें अनुपालन की स्थिति के संबंध में एमएसओ द्वारा स्व-प्रमाणन, ट्राई /एमआईवी/लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी कोई भी एनसीओ, ऑडिट रिपोर्ट आदि जैसा भी मामला हो, शामिल हो सकता है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हो सकता है, जब तक यह टेलीविजन वितरण नेटवर्क में व्यापार करने में आसानी के साथ मिलकर है।

व्यवसाय की निरंतरता और दीर्घकालिक योजना के लिए लाइसेंस/पंजीकरण का नवीकरण लाइसेंसधारी की एक बुनियादी आवश्यकता/अपेक्षा होगी। इसके अलावा, नवीकरण की अवधि न तो बहुत लंबी होनी चाहिए और न ही बहुत कम। इसे ध्यान में रखते हुए सीटीएन अधिनियम/सीटीएन नियमों में एक प्रावधान शामिल करना उचित हो सकता है जो विस्तार/नवीकरण की अवधि, प्रासंगिक प्रोसेसिंग शुल्क, जैसा लागू हो सकता है और प्रक्रिया के लिए भविष्य में एमएसओ पंजीकरण की समाप्ति पर विस्तार/नवीकरण के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया को इंगित करता है। लाइसेंसकर्ता के पास पंजीकरण के विस्तार/नवीकरण के लिए नियम और शर्तों को संशोधित करने का लचीलापन होना चाहिए। ■